फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम जगतारसिंह वगैरहा

किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 प्रकरण संख्या :– 11/2020

GCMS :- 2020/60034

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के दादा चन्दसिंह पुत्र मंहगासिंह के नाम रोही भैरूपुरा के खसरा संख्या 293/10.120 है0 भूमि खातेदारी भूमि थी। चकबन्दी पैमुद होने पर 10.120 है0 भूमि दो चकों में पैमुद हुई जिसमें चक 11 एसएलडी के खाता संख्या 16/46 में 7.337 है0 कमाण्ड/अ0क0 खातेदारी व चक 14 एसएलडी–ए के खाता संख्या 11/46 में 2.783 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के दादा चन्दसिंह पुत्र मंहगासिंह ने अपने नाम 10.120 है0 भूमि की वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 5.060 है0 ब.हि.बराबर तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 को 5.060 है0 ब.हि.बराबर वसीयत की गई। जो अप्रार्थीगण के नाम वसीयत इन्तकाल के द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल संख्या 537 दिनांक 03.01.2008 का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो गया। जिसमें जमाबंदी रोही भैरूपुरा में अप्रार्थीगण के नाम रोही हिस्सा कस्सी राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई। अप्रार्थीगण 1 ता 6 के नाम वाके चक 11 एसएलडी के खाता संख्या 16/46 के प.नं. 73/389 (8) कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 3.289 है0 क0/अ0क0, प0नं0 74/389(9) के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25/3.795 है0 कमाण्ड, प0न0 73/390 (25) कि0न0 1/0.253 है0 कुल 7.337 है0 क0/अ0क0 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 5.060 है0 तथा अप्रार्थी सं0 3 ता 6 के 5.060 है0 व चक 14 एसएलडी–ए के खाता सं0 11/46 के प0न0 74/388 (34) के कि0न0 13, 16 ता 18, 23 ता 25/1.771 है0 कमाण्ड, प0न0 73/388 (35) कि0न0 19 ता 22/1.012 है0 कुल 2.783 है0 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 5.060 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम 5.060 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया। जो सहवन से दोनों चको में अप्रार्थीगण के नाम खातेदार भूमि से अधिक रिकार्ड दर्ज हो गया। 11 एसएलडी के खाता संख्या 16/46 में 7.337 है0 क0/अ0क0 खातेदारी भूमि में अप्राथी सं. 1 व 2 के नाम 3.668 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम 3.669 है0 एवं चक 14 एसएलडी–ए के खाता संख्या 11/46 में 2.783 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम 1.392 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम 1.391 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाते की भूमि में वाके चक 11 एसएलडी के खाता संख्या 16/46 में 7.337 है0 क0/अ0क0 खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 5.060 है0 के स्थान पर 3.668 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम 5.060 है0 के स्थान पर 3.669 है0 तथा चक 14 एसएलडी–ए के खाता संख्या 11/46 में 2.783 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम 5.060 है0 स्थान पर 1.392 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम 5.060 है0 के स्थान पर 1.391 है0 भूमि दर्ज किया जाना था, जबकि सहवन/त्रुटिपूर्ण चक 11 एसएलडी व चक 14 एसएलडी–ए दोनो चकों के खातों में अप्रार्थीगण के नाम डबल रकबा दर्ज हो गया। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम चकों में दर्ज अधिक रकबा को कलमजन कर दुरस्त किया जावे। पत्रावली प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 6 की ओर से वकील श्री राजवीर भादू ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।	2456

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम जगतारसिंह वगैरहा

किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 प्रकरण संख्या :– 11/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2020	बहस उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम चक 11 एसएलडी के खाता संख्या 16/46 में 7.337 है0 क0/अ0क0 में से 3.668 है0 क0/अ0क0 ब.हि.बराबर व चक 14 एसएलडी–ए के खाता संख्या 11/46 में 2.783 है0 में से 1.392 है0 ब.हि. बराबर तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम चक 11 एसएलडी के खाता संख्या 16/46 में 7.337 है0 क0/अ0क0 में से 3.669 है0 क0/अ0क0 ब.हि.बराबर व चक 14 एसएलडी–ए के खाता संख्या 11/46 में 2.783 है0 में से 1.391 है0 ब.हि. बराबर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। रहन का नोट सम्बन्धित काश्तकार के पक्ष में पूर्ववत रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज०)	2456 6378 15/9/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested